(137)

रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/95

REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 1995/आश्विन 3, 1917
No. 396] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1995/ASVINA 3, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1995

सा० का० नि० 665(अ).— केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमण और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 12) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात समाज विरोधी क्रियाकलाप नियारण अधिनियम, 1985 (1985 का गुजरात अधिनियम, सं0 16) (गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटीसोशियल एक्टीविटी ज एक्ट, 1985) (गुजरात एक्ट नं0 6 ऑफ 1985) का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र को विस्तार करती है, अर्थात्:-

उपान्तरण

1. गुजरात समाज विरोधी क्रियाकलाप नियारण अधिनियम, 1985 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) धारा 2 के खण्ड (ज) के सिवाय, "सरकार" शब्द और "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ख) संक्षिप्त नाम में के सिवाय "गुजरात" शब्द के स्थान पर "दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "राज्य" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां यह आता है, "दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) "या पुलिस आयुक्त" शब्दों का जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

2. धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।"

3. धारा 2 में ---

(क) खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (क क) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) खण्ड (ख) में," बाम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, 1949" शब्दों के स्थान पर "गोवा, दमण और दीव एक्साइज ड्यूटी एक्ट, 1964, जैसा वह दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र को लागू है" शब्द रखे जाएंगे,

(ग) खण्ड (छ), "स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956" शब्दों के स्थान पर " अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) खण्ड (ज) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ञ) "अप्राधिकृत संरचना" से कोई ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो ऐसे क्षेत्र में अधिकारी रखने वाले अधिकारी या प्राधिकारी की दि गोवा, दमण एण्ड दीव लैण्ड रैवन्यू कोड, 1968, दि गोवा, दमण एण्ड दीव म्यूनिसिपलिटिज एक्ट, 1968, दि गोवा, दमण एण्ड दीव विलेज पंचायत रेग्यूलेशन एक्ट, 1969, दि गोवा, दमण एण्ड दीव टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1974, दि गोवा (एबोलिशन ऑफ

प्रोप्राइटरशिप ऑफ विलेज) रेग्यूलेशन, 1962, दि दमण (एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ विलेज) रेग्यूलेशन (अमैंडमेन्ट) एक्ट 1968, दि गोवा, दमण एण्ड दीव (एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ लैण्ड इन दीव) एक्ट, 1971 के अधीन अपेक्षानुसार लिखित रूप में अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना या ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार के सिवाय सोन्मोर्मत की गई है ।"

4. धारा 15 में, "बाम्बे जनरल क्लाजेज एक्ट, 1901 की धारा 21" शब्दों के स्थान पर, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10)" शब्द रखे जायेंगे ।

5. धारा 18 में, "इस अधिनियम के प्रारम्भ पर और उसके पश्चात् शब्दों के स्थान पर "दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र को इस अधिनियम के विस्तार पर और उसके पश्चात्" शब्द रखे जायेंगे ।

6. धारा 19 का लोप किया जायगा ।

उपाबंध

गुजरात समाज-विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1985 (1985 का गुजरात अधिनियम सं0 16), दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित है ।

अवैध शराब व्यापारी, खतरनाक व्यक्ति, मादक द्रव्य अपराधी, अनैतिक व्यापार अपराधी और संपत्ति हथियाने वाले व्यक्तियों का लोक व्यवस्था प्रतिकूल बनाए रखने पर प्रभाव डालने वाले उनके समाज विरोधी और खतरनाक क्रिया-कलापों के निवारण के लिए निवारक निरोध का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गुजरात समाज-विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1985 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषा :

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।

(क क) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस धारा की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ख) "अवैध शराब व्यापारी" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर लागू गोवा, दमण और दीव उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी तीक्ष्ण, मादक औषधि या अन्य मादकों का आसुत विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात, निर्यात, विक्रय या वितरण करता है या जो जान-बूझकर ऊपर वर्णित किसी बात को अग्रसर करने में या उसके समर्थनके लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या उसके माध्यम से किसी धन का व्यय करता है या उसे लगाता है या किसी पशु, यान, जलयान या अन्य सवारी या किसी पात्र या किसी भी अन्य सामग्री का प्रदाय करता है या किसी ऐसी बात को किसी अन्य रीति से करने का दुष्प्रेरण करता है ।

(ग) "खतरनाक व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 5 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में आदतन करता है या करने का प्रयास करता है या किए जाने का दुष्प्रेरण करता है ;

(घ) "निरोध आदेश" से धारा 3 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है;

(ङ) "निरुद्ध व्यक्ति" से किसी निरोध आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "औषध अपराधी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो-

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "औषध अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के उल्लंघन में किसी औषध का आयात करता है;

(ii) औषधि अधिनियम की धारा 18 के उल्लंघन में किसी औषध का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या उसका विक्रय करता है या विक्रयार्थ स्टाक करता है या प्रदर्शित करता है अथवा वितरित करता है,

(iii) औषधि अधिनियम की धारा 33 घ के उल्लंघन में किसी आयुर्वेदिक (जिसके अन्तर्गत सिद्ध भी है) या यूनानी औषधि का विक्रयार्थ विनिर्माण करता है ;

(iv) औषधि अधिनियम की धारा 33 ङ के उल्लंघन में 4-क के अधीन अनुज्ञप्त किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित से भिन्न किसी आयुर्वेदिक (जिसके अन्तर्गत सिद्ध भी है) या यूनानी औषधि का विक्रय करता है या विक्रयार्थ स्टाक करता है या प्रदर्शित करता है, अथवा वितरित करता है ।

(v) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 के उल्लंघन में किसी पौधे अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे की खेती करता है या किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण करता, विक्रय, क्रय, पारेषण, भाण्डागारण, अन्तर्राज्यिक, आयात, अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानान्तरण करता है।

(vi) जानबूझकर उपखण्ड (i) से उपखण्ड (v) में वर्णित किसी या उसके बारे को आसर करने में या उसके समर्थन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या उसके माध्यम से किसी धन का व्यय करता है या उसका प्रदाय करता है ।

(vii) उपखण्ड (i) से उपखण्ड (vi) में वर्णित किसी बात को किसी रीति से करने का दुष्प्रेरण करता है ।

(छ) "अनैतिक व्यापार अपराधी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन आदतन कोई अपराध करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है ।

(ङ) "संपीड़ित हथियाने वाला व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है जो किसी ऐसी भूमि का अवैध कब्जा करता है जो उसकी स्वयं की नहीं है अपितु जो केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति की है या जो ऐसी भूमि की बाबत अनुज्ञप्ति या इजाजत और अनुज्ञप्ति करार या कोई अन्य करार करता है या सृजित करता है या जो उसपर विक्रय या भाड़ा के लिए अप्राधिकृत संरचना का सन्निर्माण करता है या ऐसी भूमि को अप्राधिकृत संरचनाओं के सन्निर्माण या उपयोग और आधिभोग के लिए किराए या इजाजत और अनुज्ञप्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को देता है या जो जानबूझ कर किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए या उसपर अप्राधिकृत संरचना के सन्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देता है या जो आपराधिक अभित्रास द्वारा ऐसी भूमि के किन्हीं आधिभोगियों से भाड़ा, प्रीतकर या अन्य प्रभार संग्रहीत करता है या करने का प्रयत्न करता है या जो विधिपूर्ण प्रक्रिया का सहारा लिए बिना बल द्वारा ऐसे आधिभोगियों को बेदखल करता है या बेदखल करने का प्रयत्न करता है या जो ऊपर वर्णित किसी बात को किसी रीति में करने का दुष्प्रेरण करता है

(झ) "अप्राधिकृत संरचना" से अभिप्रेत है ऐसी कोई संरचना जिसका गोवा, दमण और दीव लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1968, गोवा, दमण और दीव म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1968, गोवा, दमण और दीव विलेज पंचायत रेग्यूलेशन एक्ट, 1969 गोवा, दमण और दीव टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट, 1974, दमण (एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ विलेजेज) रेग्यूलेशन, 1962, दमण (एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ विलेजेज) रेग्यूलेशन (अमेण्डमेंट) एक्ट, 1968, गोवा, दमण और दीव (एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ लैण्ड्स इन इंडिया) एक्ट, 1971 के अधीन अपेक्षित ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले अधिकारी या प्राधिकारी की अभिव्यक्त लिखित आज्ञा के बिना या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार के सिवाय, ऐसे क्षेत्र में सन्निर्माण किया गया है, या-

3(1) यदि प्रशासक का किसी व्यक्ति की बाबत यह समाधान हो जाता है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कोई कार्य करने से उसे निवारित करने की दृष्टिकोण ऐसा करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति निरुद्ध किया जाए ।

(2) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या विद्यमान होने के लिए सम्भाव्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यदि जिला मजिस्ट्रेट का उपधारा (1) में यथाउपबंधित रूप में समाधान हो जाता है तो वह भी उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(3) जब किसी पदाधिकृत अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाता है तो वह तुरन्त उस तथ्य की रिपोर्ट उन आधारों के साथ जिनपर आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशेषताओं सहित जो उसकी राय में उस बात से संबंधित है प्रशासक को करेगा और ऐसा आदेश उसके किए जाने के पश्चात् बारह दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा । जब तक कि इस बीच उसका प्रशासक द्वारा अनुमोदन न कर दिया गया है।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को "लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने वाला" तब समझा जाएगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे अवैध शराब व्यापारी, खतरनाक व्यक्ति या औषधि अपराधी, अनैतिक व्यापार अपराधी या सम्पत्ति हथियाने वाले व्यक्ति के रूप में संलग्न है या ऐसे किसी क्रिया-कलाप में संलग्न होने की तैयारी कर रहा है जिससे लोक व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

स्पष्टीकरण:-

इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभवना होना अन्य बातों के साथ-साथ तब समझा जाएगा जब इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के ऐसे किसी भी क्रिया-कलाप से आम जनता या उसके किसी भाग को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हानि, खतरा या संत्रास या असुरक्षा की भावना अथवा जीवन सम्पत्ति या जन स्वास्थ्य को गंभीर या व्यापक खतरा पहुंचा है या पहुंचने की संभावना है;

4. निरोध आदेश का निष्पादन दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के लिए उपबंधित रीति में किया जा सकेगा;

5. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत निरोध आदेश किया गया है:-

(क) ऐसे स्थान और ऐसी शर्तों के अधीन जैसादि प्रशासक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे जिसमें अनुशासन बनाए रखना और अनुशासन भंग के लिए शास्ति भी सम्मिलित है, निरुद्ध किए जाने, और

(ख) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान पर प्रशासक के आदेश से हटाए जाने के दायित्वाधीन होगा ।

6. जहां किसी व्यक्ति का धारा 3 के अधीन निरोध के आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया है जो दो या अधिक आधारों पर किया गया है, वहां निरोध का आदेश प्रत्येक आधार पर पृथक् रूप से किया गया समझा जाएगा और तद्नुसार,--

(क) ऐसा आदेश केवल एक या कुछ आधारों पर अधिविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं समझा जाएगा-

(I) अस्पष्ट

(II) अविद्यमानता

(III) असुसंगता

(IV) ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं या सामान्य रूप से लागू नहीं है, या

(V) किसी अन्य कारण से, जो भी हो अधिविधिमान्य है ।

अतः यह संभव नहीं है कि प्रशासक या ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी का फिर भी निरोध आदेश के शेष आधार या आधारों के प्रतिनिर्देश से धारा 3 में यथाउपबंधित समाधान हो गया हो

(ख) निरोध का आदेश करने वाले प्रशासक या अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के अधीन निरोध का आदेश शेष आधार या आधारों के प्रतिनिर्देश से उस धारा में यथाउपबंधित समाधान हो जाने के पश्चात् किया है ।

7. निरोध का कोई आदेश केवल इस कारण से अधिविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं होगा कि---

(क) इसके अधीन निरोध किया जाने वाला व्यक्ति दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर है, आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर है, उक्त सीमाओं से बाहर है ।

रखते हुए, ऐसे व्यक्ति और उसकी संपत्ति का बाबत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 से धारा 86 तक (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध लागू होंगे और ऐसे स्थान का, जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, विचार किए बिना उसके विरुद्ध किया गया निरोध का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट समझा जाएगा । जहां निरोध का आदेश, यथास्थिति, प्रशासक द्वारा और प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा, जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, किया गया है, या जहां निरोध का आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, वहां उसकी मामूली अधिकारिता का विचार किए बिना, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के लिए तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग में स्थित उसकी संपत्ति की कुर्की तथा उसके विक्रय के लिए और उक्त धाराओं के अधीन कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए उद्घोषणा जारी करने के लिए उक्त संहिता की धारा 82,83,84 और 85 के अधीन सक्षम न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त है, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की गई संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाले किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे सत्र न्यायालय को जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर है जहां उक्त व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, होगी, जैसाकि उक्त संहिता की धारा 86 में उपबंधित है ।

(2) (क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत निरोध का आदेश किया गया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है ताकि आदेश या निष्पादन नहीं किया जा सके, तो, यथास्थिति, प्रशासक या अधिकारी, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर होने का निदेश दे सकेगा ।

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहता है, वहां, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता है कि उसके लिए उसका पालन करना संभव नहीं था, और उसने आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आदेश में उल्लिखित अधिकारी को, उन कारणों के बारे में जिनके कारण उसका पालन करना असंभव हो गया था और अपने ठिकाने के बारे में सूचना दे दी थी या यह साबित करता है कि उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह आदेश में उल्लिखित अधिकारी को ऐसी सूचना दे, वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(ग) उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

9. (1) जब किसी व्यक्ति को निरोध के किसी आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, उसे यथाशीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से सात दिन के अपश्चात् ऐसे आधारों को जिनपर ऐसा आदेश किया गया है, संसूचित करेगा और उसे ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रशासक को अभ्यावेदन के लिए शीघ्र ही अवसर देगा ।

10. (1) प्रशासक, जब कभी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड गठित करेगा ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह अपेक्षित नहीं होगा कि प्राधिकारी ऐसे तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें वह प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझता है ।

(2) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में अध्यक्ष और दो ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या जो भारत के संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्हित हैं:

परन्तु ऐसे बोर्ड का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है ।

11. ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन निरोध का कोई आदेश किया गया है प्रशासक, आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को निरोध करने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, धारा 10 के अधीन उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष ऐसे आधार को, जिसपर आदेश किया गया है और आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तथा जहां आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है वहां धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट को भी रखेगा ।

12. (1) सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रशासक से या प्रशासक की मार्फत इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए किसी व्यक्ति से या निरुद्ध व्यक्ति से ऐसी और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि, किसी विशिष्ट मामले में, सलाहकार बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझे या यदि निरुद्ध व्यक्ति सुने जाने की मांग करे तो निरुद्ध व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से सुने जाने के पश्चात् निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर प्रशासक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के पृथक भाग में इस बारे में सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट होगी कि निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं ।

(3) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय बोर्ड की राय समझी जाएगी ।

(4) सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, सिवाए रिपोर्ट के उस भाग के जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट है, गोपनीय होगी ।

(5) इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध का आदेश किया गया है, किसी ऐसे विषय में, जो सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश से संबंधित है, किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपसंजात होने का हकदार नहीं होगा ।

13. (1) किसी ऐसे मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राय में निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, प्रशासक निरोध के आदेश की पुष्टि कर सकेगा और निरुद्ध व्यक्ति के निरोध को, धारा 17 द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अनधिक अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, जारी रख सकेगा ।

(2) किसी ऐसे मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राय में संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, प्रशासक निरोध के आदेश को प्रतिसंहृत करेगा और निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल छोड़ाएगा ।

14. वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किए गए निरोध के ऐसे आदेश के अनुसरण में, जिसकी धारा 13 के अधीन पुष्टि की जा चुकी है निरुद्ध किया जा सकेगा, निरोध की तारीख से एक वर्ष होगी ।

15. (1) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरोध के आदेश को, किसी भी समय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, प्रशासक द्वारा ऐसा होते हुए भी कि आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, प्रतिसंहृत या उपांतरित किया जा सकेगा ।

(2) निरोध के किसी आदेश का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "पूर्ववर्ती निरोध आदेश" कहा गया है) अवसान या प्रतिसंहरण धारा 3 के अधीन उसी व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का कोई अन्य आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस उपधारा में "पश्चात्वर्ती निरोध आदेश" कहा गया है) करने से वर्जित नहीं करेगा ।

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अवसान या प्रतिसंहरण के पश्चात् कोई नए तथ्य उद्भूत नहीं हुए हैं, अधिकतम अवधि, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को पश्चात्वर्ती निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, किसी भी दशा में, पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीख से बारह मास की अवधि समाप्ति से परे नहीं बढ़ाई जाएगी ।

16. (1) प्रशासक, किसी भी समय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि निरोध के आदेश के अनुसरण में, किसी निरुद्ध व्यक्ति को, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए शर्तों के बिना या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो वह व्यक्ति स्वीकार करे, छोड़ दिया जाए और किसी भी समय उसके छोड़े जाने को रद्द कर सकेगा ।

(2) प्रशासक, उपधारा (1) के अधीन किसी निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का निदेश देने में उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए प्रतिभूती सहित या उनके बिना एक बंधपत्र लिखे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई निरुद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, उसके छोड़े जाने का या छोड़े जाने को रद्द किए जाने का निदेश देने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और प्राधिकारी के समक्ष स्वयं को अभ्यर्पित करेगा ।

(4) यदि कोई निरुद्ध व्यक्ति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से स्वयं को पर्याप्त कारण के बिना अभ्यर्पित करने में असफल रहता है, तो वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई निरुद्ध व्यक्ति उक्त उपधारा के अधीन उसपर अधिरोपित या उसके द्वारा ऐसे गए बंधपत्र में की शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहता है, तो बंधपत्र को समपहृत घोषित कर दिया जाएगा और उससे आबद्ध कोई व्यक्ति उसकी शोध्यता का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा ।

17. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

18. इस अधिनियम का दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किए जाने पर और उसके पश्चात् प्रशासक या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा, राज्य क्षेत्र में जिला चुंगी बिना शराब का व्यापार करने वाला, औषधि अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, अनैतिक व्यापार अपराधी या संपत्ति हथियाने वाले की बाबत, लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने से उसे रोकने के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरोध का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जहां तक ऐसे व्यक्ति के निरोध के लिए इस अधिनियम के अधीन आदेश किया जा सकता हो ।

[फा. सं. यू-11015/2/93-यू. टी. एल. (183)]
आर. आर. शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1995

G.S.R. No. 665(E).-- In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends to the Union territory of Daman and Diu, the Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 (Gujarat Act No.16 of 1985) as inforce in the State of Gujarat at the date of this notification subject to the following modifications, namely :-

M O D I F I C A T I O N S

1. In the Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act ,1985 unless the context otherwise requires, -

(a) for the word "Government" except in clause (h) of Section 2, and for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted;

(b) for the word "Gujarat" except in the short title, the words "Union territory of Daman and Diu" shall be substituted;

(c) for the word "State" wherever it occurs, the words "Union territory of Daman and Diu" shall be substituted;

(d) the words "or a Commissioner of Police" wherever they occur, shall be omitted.

2. In Section 1, sub-section(3) shall be substituted as under:- "(3) It shall come into force at once."

3. In Section 2, -

(a) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before the clause (aa) as so renumbrered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) "Administrator means the Administrator of the Union territory of Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution." ;

(b) in clause(b), for the words "Bombay Prohibition Act, 1949", the words "Goa, Daman and Diu Excise Duty Act, 1964, as applicable to the Union territory of Daman and Diu" shall be substituted;

(c) in clause(8), for the words "Suppression of Immoral Traffic in Woman and Girls Act, 1956", the words "Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956" shall be substituted;

(d) in clause(h), for the word "Government", the words "Central Government" shall be substituted;

(e) for clause(i) the following shall be substituted; namely :-

" (i) "unauthorised structure" means any structure constructed in any area without express permission in writing of the officer or authority having jurisdiction in such area

required under the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code 1968, the Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968 the Goa, Daman and Diu Village Panchayat, Regulation Act, 1969, the Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974, the Daman (Abolition of Proprietorship of Village) Regulation, 1962, the Daman Abolition of Proprietorship of villages) Regulation (Amendment) Act, 1968, the Goa, Daman and Diu (Abolition of Proprietorship of Lands in Diu) Act, 1971 or except in accordance with any other law for the time being in force in such area."

4. In Section 15, for the words "Section 21 of the Bombay General Clauses Act, 1904", the words "the General Clauses Act 1897 (10 of 1897)" shall be substituted.

5. In Section 18 for the words "on and after the commencement of this Act", the words "on and after the extension of this Act to the Union Territory of Daman and Diu" shall be substituted.

6. Section 19 shall be omitted.

ANNEXURE

The Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act, 1985 (Gujarat Act No.16 of 1985) as extended to the Union Territory of Daman and Diu.

An Act to provide for prevention detention of bootleggers, dangerous persons, drug offenders, immoral traffic offenders and property grabbers for preventing their anti-social and dangerous activities prejudicial to the maintenance of public order.

It is hereby enacted in the Thirty Sixth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Gujarat Prevention of Anti-social Activities Act, 1985.

(2) It extends to the whole of the Union Territory of Daman and Diu.

(3) It shall come into force at once.

2. Definition :

In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution

(aa) "authorised officer" means a District Magistrate authorised under sub-section (2) of section 3 to exercise the powers conferred under sub-section (1) of that section;

(b) "bootleggers' means a person who distills, manufactures, stores, transports, imports, exports, sells or distributes any liquor, intoxicating drug or other intoxicant in contravention of any provision of the Goa, Daman and Diu. Excise Duty Act, 1964 as applicable to the Union territory of Daman and Diu and the rules and orders made thereunder, or of any other law for the sume;

being in force or who knowingly expends or applies any money or supplies any animal, vehicle, vessel or other conveyance or any receptacle or any other material whatsoever in furtherance or support of the doing of any of the things

described above by or through any other person, or who abets in any other manner the doing of any such thing :

(c) "dangerous person" means a person, who either by himself or as a member or leader of a gang habitually commits, or attempts to commit or abets the commission of any of the offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code or any of the offences punishable under Chapter V of the Arms Act, 1959.

(d) "detention order" means an order made under section 3 ;

(e) "detenu" means a person detained under a detention order ;

(f) "drug offender" means a person who -

(i) imports any drug in contravention of section 10 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (hereinafter in this definition referred to as "the Drugs Act").

(ii) manufacturers for sale, or sells, or stocks or exhibits for sale, or distributes any drug in contravention of section 18 of the Drugs Act.

(iii) manufacturers for sale any Ayurvedic (including Siddha) or Unani drug in contravention of section 33D of the Drugs Act.

(iv) sells, or stocks or exhibits for sale or distributes any Ayurvedic (including Siddha) or Unani drug other than that manufactured by a manufacturer licensed under under IV-A in contravention of section 33E of the Drugs Act.

(v) cultivates any coca plant, opium poppy or cannabis plant or produces, manufactures, possesses, sells, purchases, transports, warehouses, imports inter-state exports inter-State imports into India, exports from India or transships any narcotic drug or psychotropic substance in contravention of section 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985.

(vi) knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of the doing of any of the things mentioned in any of the sub clauses (i) to (v) by or through any other person, or

(vii) abets in any manner the doing of any of the things mentioned in any of the sub-clauses (i) to (vi);

(g) "immoral traffic offender" means persons who habitually commits or abets the commission of any offence under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

(h) "property grabber" means a person who illegally takes possession of any land not belonging to himself but belonging to Central Government, local authority or any other person or enters into or creates illegal tenancies or leave and licence agreements or any other agreements in respect of such lands or who constructs unauthorised structures thereon for sale or hire or gives such lands to any person on rental or leave and licence basis for construction or use and occupation of unauthorised structures or who knowingly gives financial aid to any person for taking illegal possession of such lands or for construction of unauthorised structures thereon or who collects or attempts to collect from any occupiers of such lands rent, compensation or other charges by criminal intimidation or who evicts or attempts to evict any such occupiers by

force without resorting to the lawful procedure or who abets in any manner the doing of any of the above mentioned things ;

(i) "unauthorised structure" means any structure constructed in any area without express permission in writing of the Officer or authority having jurisdiction in such area required under the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968, the Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968, the Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations Act, 1969, the Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974, the Daman (Abolition of Proprietorship of Villages) Regulations, 1962, the Daman (Abolition of Proprietorship of Villages) Regulations (Amendment) Act, 1968, the Goa, Daman and Diu (Abolition of Proprietorship of Lands in Diu) Act, 1971 or except in accordance with any other law for the time being in force in such area.

(1) The Administrator may if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

(2) If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any

area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate the Administrator is satisfied that it is necessary so to do, he may, by order in writing direct that the District Magistrate may also, if satified as provided in sub-section (1), exercise the powers conferred by the said sub-section.

(3) When any order is made under this section by an authorised officer he shall forthwith report the fact to the Administrator together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in his opinion, have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than twelve days after the making thereof, unless, in the meantime, it has been approved by the Administrator.

(4) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be "acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order" when such person is engaged in or is making preparation for engaging in any activities whether as a bootlegger, dangerous person or drug offender or Immoral Traffic offender or property grabber, which affect adversely or are likely to affect

adversely the maintenance of public order.

Explanation : For the purpose of this sub-section, public order shall be deemed to have been affected adversely or shall be deemed likely to be affected adversely inter alia if any of the activities of any person referred to in his sub-section directly or indirectly, is causing or is likely to cause any harm, danger or alarm or feeling of insecurity among the general public or any section thereof or a grave or widespread danger to life, property or public health.

4. A detention order may be executed at any place in the Union Territory of Daman and Diu in the manner provided for the execution of warrant of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1973.

5. Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable -

(a) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance, discipline and punishment for breaches of discipline, as the Administrator may, by general or special order, specify ; and

(b) to be removed from one place of detention to another place of detention, within the Union Territory of Daman and Diu by order of the Administrator.

6. Where a person has been detained in pursuance of an order of detention under section 3 which has been made on two or more grounds, such order of detention shall be deemed to have been made separately on each ground and accordingly

(a) such order shall not be deemed to be invalid or inoperative merely because one or some of the grounds is or are -

(i) vague,

(ii) non-existent,

(iii) not-relevant

(iv) not connected or not proximately connected with such person, or

(v) invalid for any other reason whatsoever,

and it is not, therefore, possible to hold that the Administrator or the officer making such order would have been satisfied as provided in section 3 with reference to the remaining ground or grounds &made the order of detention ;

(b) the Administrator or the officer making the order of detention shall be deemed to have made the order of detention under the said section after being satisfied as provided in that section with reference to the remaining ground or grounds.

7. No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason --

(a) that the person to be detained thereunder, though, within the Union Territory of Daman and Diu is outside the territorial jurisdiction of the authorised officer making the order, or

(b) that the place of detention of such person though, within the Union Territory of Daman and Diu is outside the said limits.

8. (1) If the Administrator or any authorised officer has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made has absconded, or is concealing himself so that the order cannot be executed, than the provisions, of section 82 to 86 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure 1973, shall apply in respect of such person and his property, subject to the modifications mentioned in this sub-section and, irrespective of the place where such person ordinarily resides, the detention order made against him shall be deemed to be warrant issued by a competent Court. Where the detention order is made by the Administrator and Officer not below the rank of a District Magistrate authorised by the Administrator in this behalf, or where the detention order is made by an authorised officer, the authorised Officer, as the case may be, shall,

irrespective of his ordinary jurisdiction, be deemed to be empowered to exercise all powers of the competent Court under sections 82, 83, 84 and 85 of the said Code for issuing a proclamation for such person and for attachment and sale of his property situated in any part of the Union Territory of Daman and Diu Territory and for taking any other action under the said sections. An appeal from any order made by any such officer rejecting an application for restoration of attached property shall lie to the Court of Session having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides, as provided in section 86 of the said Code.

(2) (a) Not withstanding anything contained in sub-section

(1) if the Administrator or an authorised officer has reason to believe that person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, the Administrator or the officer, as the case may be, may by order notified in the OFFICIAL GAZETTE, direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.

(b) Where such person fails to comply with such order, then unless he proves that it was not possible for him to comply therewith, and that he had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reasons which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, or proves that it was not possible for him to so inform the officer mentioned in the order, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

(c) Notwithstanding anything contained in the said Code, every offence under clause (b) shall be cognizable.

9. (1) When a person is detained in pursuance of a detention order the authority making the order shall, as soon as may be, but not later than seven days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the Administrator.

(2) Nothing the sub-section (1) shall require the authority to disclose facts which it

considers to be against the public interest to disclose.

10. (1) The Administrator shall whenever necessary constitute one or more Advisory Boards for the purpose of this Act.

(2) Every such Board shall consist of a Chairman and two other members who are, or have been Judges, of any High Court or who are qualified under the Constitution of India to be appointed as Judges of a High Court:

Provided that the Chairman of such Board shall be a person who is, or has been, a Judge of a High Court.

11. In every case where a detention order has been made under this Act the Administrator shall, within three weeks from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by him under section 10 the ground on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, and where the order has been made by an authorised officer, also the report made by such officer under sub-section (3) of section 3.

12. (1) The Advisory Board shall, after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it

may deem necessary from the Administrator or from any person called for the purpose through the Administrator or from the detenu and if, in any particular case, the Advisory Board considers it essential so to do or if the detenu desires to be heard after hearing the detenu in person, submit its report to the Administrator within seven weeks from the date of detention of the detenu.

(2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the detenu.

(3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.

(4) The proceedings of the Advisory Board and its report excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified shall be confidential.

(5) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner

in any matter connected with the reference to the Advisory Board.

13. (1) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of the detenu, the Administrator may confirm the detention order and continue the detention of the detenu for a period, not exceeding the maximum period prescribed by section 14 as it thinks fit.

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of the person concerned, the Administrator shall revoke the detention order and cause the detenu to be released forthwith.

14. The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order made under this Act which has been confirmed under section 13, shall be one year from the date of detention.

15. (1) Without prejudice to the provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) a detention order may, at any time for reasons to be recorded writing, be revoked or modified by the Administrator

notwithstanding that the order has been made by an authorised officer.

(2) The expiry or revocation of a detention order (hereinafter in this sub-section referred to as "the earlier detention order") shall not bar the making of another detention order (hereinafter in this sub-section referred to as "the subsequent detention order") under section 3 against the same person:

Provided that in a case where no fresh facts have arisen after the expiry or revocation of the earlier detention order made against such person, the maximum period for which such person may be detained in pursuance of the subsequent detention order shall in no case extend beyond the expiry of a period of twelve months from the date of detention under the earlier detention order.

16. (1) The Administrator may, at any time, for reasons to be recorded in writing, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period, either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may, at any time, cancel his release.

(2) In directing the release of any detenu under sub-section (1) the Administrator may require him to enter into a bond, with or without

sureties, for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) Any detenu released under sub-section (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.

(4) If any detenu fails without sufficient cause surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(5) If any detenu released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

17. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Administrator or any officer or person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

18. On and after the extension of this Act to the Union territory of Daman and Diu, no

order of detention under the National Security Act, 1980 shall be made by the Administrator or any officer subordinate to him in respect of any bootlegger, drug offender, dangerous person, immoral traffic offender, or property grabber in the Territory on the ground of preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, in so far as an order under this Act, could be made for detention of such person.

[F. No. U-11015/2/93-UTL/183]
R. R. SHAH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995